

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

द्वारा वर्ष 2012-13 से पूर्व आवंटित
आवासीय/बिल्टअप योजनाओं के
डिफाल्टर आवंटियों हेतु

एक मुश्त समाधान योजना One Time Settlement Scheme

OTS Scheme

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से पूर्व की ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आवासीय/बिल्टअप हाउसिंग योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड/भवन के, वे आवंटिगण, जिनके द्वारा प्रीमियम + 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि जमा नहीं करायी गयी है तथा वे वर्तमान में डिफॉल्टर हो गये हैं, तथा इसके अतिरिक्त वे आवंटिगण, जिनके द्वारा भूखण्ड/भवन की लीजडीड समय से निष्पादित नहीं करायी गयी है और उन पर लीजडीड विलम्ब शुल्क आरोपित हो गया है। इस प्रकार के समस्त आवंटियों के लिये ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा ओ.टी.एस. योजना (One Time Settlement Scheme) लाई गयी है जिसके अन्तर्गत वे समस्त आवंटिगण दिनांक 31.03.2019 तक प्रोसेसिंग फीस रु. 2,000/- तथा इसके पश्चात् दिनांक 01.04.2019 से 31.05.2019 तक रु. 5,000/- (जिसका समायोजन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा) के साथ डिफाल्टर धनराशि यथा (प्रीमियम डिफाल्ट + 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर + लीजडीड विलम्ब शुल्क) के कुल योग का 5 प्रतिशत जमा कराते हुये आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रीमियम डिफाल्ट + 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर + लीजडीड विलम्ब शुल्क यथा आवश्यकता तीनों अथवा दो अथवा एक पर भी डिफॉल्ट होने पर भी आवेदन कर सकते हैं।

क्र. सं.	ओ.टी.एस. योजना की अवधि	लीजडीड विलम्ब शुल्क पर छूट	प्रीमियम डिफाल्ट पर छूट	64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर पर छूट
1.	ओ.टी.एस. लागू होने के दिनांक से दिनांक 31.03.2019 तक आवेदन करने पर	कुल लीजडीड विलम्ब शुल्क का 40 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी, अर्थात् विलम्ब शुल्क में 60 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।	1. ओ.टी.एस. योजना के अन्तर्गत प्रीमियम के सापेक्ष सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज, जो सम्पत्ति के आवंटन के समय किस्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा, लिया जायेगा। यदि किसी आवंटि द्वारा ओ.टी.एस. योजना लागू होने से पूर्व समस्त भुगतान किया जा चुका है तो उन प्रकरणों में यह योजना लागू नहीं होगी।	1. ओ.टी.एस. योजना के अन्तर्गत 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष सभी डिफाल्टर आवंटियों से 9.5 प्रतिशत साधारण ब्याज दर से ब्याज लिया जायेगा। यदि किसी आवंटि द्वारा ओ.टी.एस. योजना लागू होने से पूर्व समस्त भुगतान किया जा चुका है तो उन प्रकरणों पर यह योजना लागू नहीं होगी।
2.	दिनांक 01.04.2019 से 30.04.2019 तक आवेदन करने पर	कुल लीजडीड विलम्ब शुल्क का 50 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी, अर्थात् विलम्ब शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।	2. आवंटियों से प्रीमियम के सापेक्ष किसी भी प्रकार का दण्डात्मक ब्याज (Penal Interest) नहीं लिया जायेगा। डिफाल्टर अवधि का ब्याज विन्दु संख्या "1" के अनुसार लिया जायेगा।	2. आवंटियों से 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष किसी भी प्रकार का दण्डात्मक ब्याज (Penal Interest) नहीं लिया जायेगा। डिफाल्टर अवधि का ब्याज विन्दु संख्या "1" के अनुसार लिया जायेगा।
3.	दिनांक 01.05.2019 से 31.05.2019 तक आवेदन करने पर	कुल लीजडीड विलम्ब शुल्क का 60 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी, अर्थात् विलम्ब शुल्क में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।		

ओ.टी.एस. योजना की विस्तृत जानकारी हेतु प्रबन्धक (सम्पत्ति) से सम्पर्क करें:

0120-2336030, 2336031

उक्त योजना के आवेदन फार्म, नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं:

www.greaternoidaauthority.in



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं. 1, नॉलेज पार्क 4, ग्रेटर नौएडा सिटी 201308 जिला-गौतमबुद्ध नगर